न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः—18 / 2021
जी सी एम एस नं.—2021 / 17

बनवारी लाल पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी चक 21 एराजेएम (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———वादी

बनाम्

1. सतवीर पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चक 21 एसजेएम (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. हवासिंह पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सरजीत कुमार पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुखवीर पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सोमवीर कुमार पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. मनीष कुमार पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी (खोखरांवाली) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त. अधिनियम।

वकील उपस्थित

1. श्री राकेश कुमार गोदार एडवोकेट	वादी की ओर से
2. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट	प्रतिवादी सं.—1 ता 3 की ओर से
3. ईकबाल दावा	प्रतिवादी सं.—4 ता 6 की ओर से
4. राज पैरोकार	प्रतिवादी सं.—7 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

दि. 29/9/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 7 [illegible] एम. एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं—19 पत्थर सं—305 / 383 का किला [illegible] ता 25 मे 6.173 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं—1 ता 6 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसे आगे वाद पत्र मे वादाधीन कृषि भूमि दर्ज किया

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जावेगा। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादाधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 के नाम से मुस्तरका खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं लेकिन वादी व प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 द्वारा आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा हैं तथा घरू बंटवारा के अनुसार वादाधीन कृषि भूमि का किला नं.–1 ता 12 व किला नं.–13 का 4 बिस्वा कुल 12 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में हैं तथा शेष रकबा पर प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 का सयुंक्त कब्जा काश्त हैं तथा उसी अनुसार मौका पर फसल बिजांद कर रखी है। उपरोक्त वादाधीन कृषि भूमि मुस्तरका खाता मे दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 के मध्य अक्सर पानी लगाने, मालकाना आबयाना आदि जमा करवाने को लेकर विवाद पैदा हो जाता हैं जिससे रंजिश बढ़ती है। वादाधीन कृषि भूमि मुस्तरका खाता में हैं लेकिन पक्षकारों के मध्य मौखिक रूप से घरू बंटवारा हो चुका है। विवाद व झगड़े से बचने के लिए वादी वादाधीन कृषि भूमि का घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से खाता विभाजन करवा कर अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाना चाहता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 से निवेदन किया कि मुस्तरका खाता मे वादाधीन कृषि भूमि होने के कारण अक्सर विवाद पैदा हो जाता हैं इसलिए स्थाई समाधान हेतु घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अपना–2 हिस्सा अनुसार किला नम्बर दर्ज करवा लिए जाऐं लेकिन प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 टाल मटोल करते रहे। दिनांक 02–02–2021 को वादी ने प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 से सम्पर्क कर वादाधीन कृषि भूमि का घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 ने घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। इसी दिनांक से वादी को प्रतिवादीगण सं.–1 ता 6 के खिलाफ वाद कारण प्राप्त है। अतः चक 7 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–19 पत्थर सं.–305/383 का किला नं.–1 ता 25 मे 6.173 हैक्टर 24 बीघा 7 बिस्वा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन किया जाकर चक 7 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–19 पत्थर सं.–305/383 का किला नं.– 1 ता 12 व किला नं.– 13 का 4 बिस्वा कुल 12 बीघा 4 बिस्वा रकबा वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अकंन कर खाता विभाजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवा[illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 की तरफ से अ[illegible] होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का वादी [illegible]थ कोई लिखित में बंटवारा नहीं हुआ है। कब्जे के संबंध में निवेदन हैं कि अपने अपने हिस्से की जमीन प्रत्येक काश्तकार काश्त कर रहा हैं एवं रास्ते का विवाद हैं प्रत्येक काश्तकार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

बंटवारा के अनुसार जाने का रास्ता प्रदान किया जावे तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियमानुसार न्यायसंगत भी है। प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का आपसी विवाद नहीं हुआ हैं जिस जमीन पर प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं उसे हमारा कब्जा हैं जिसके लिये रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत है। रास्ता एंव खाला के अनुरूप ही खाता विभाजन किया जावे।

प्रतिवादीगण सं.–4 ता 6 द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच घरेलू बंटवारा हो रखा है। घरेलू बंटवारा अनुसार मुरब्बा नं. 19 प.नं.–305/383 के कि.नं.–20, 21 ता 25 में से प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण घरेलू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने को तैयार है। घरू बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने से हमने कभी भी इंकार नहीं किया है। अतः– इकबाल दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाता है। तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण सं.–7 द्वारा स्टेट जबाव प्रतिवादी सं.–1 ता 7 सादर प्रस्तुत की राजकीय पक्ष को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाता है। तो स्टेट को कोई आपति नहीं होगी।

पत्रावली में विवादित बिन्दू नही हैं तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नहीं होने की स्थिति में वादी का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2024 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार अनूपगढ से चाहा गया। तहसीलदार अनूपगढ द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किला विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक उक्त खाते के खातेदारान के विभाजन का प्रस्ताव मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	नाम खातेदार	मु.नं.	किलानम्बर	रकबा कुल	विशेष विवरण
1	बनवारी लाल पुत्र कालूराम जाति नायक	305/383 मु.नं. 19	1/0.233, 2 ता 9 सालम, 10/0.233, 11/0.233, 12/0.253, 13/0.098 हैक्टर	3.074 हैक्टर	–
2	मनीष कुमार सुखवीर कुमार सतवीर सरजीत कुमार सोमवीर कुमार हवासिंह	305/383 मु.नं. 19	13/0.155, 14 ता 20 सालम, 21/0.114, 22/0.240, 23 ता [illegible] सालम	[illegible]039 हैक्टर	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

3	बनवारी लाल मनीष कुमार सुखवीर कुमार सतवीर कुमार सरजीत कुमार सोमवीर कुमार हवा सिंह	305/383 मु.नं. 19	1/0.020, 10/0.020, 11/0.020	0.060 हैक्टर	रास्ते हेतु सयुक्त खातेदारी भूमि

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के समक्ष एवं इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने उपरांत किसी पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है। फलतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य हैं तथा वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

उनवान

ब इजलास **श्री सुरेश राव आर.ए.एस.**

बनवारी लाल बनाम् सतवीर

दावा बाबत्–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकद्मा नं.–18/2021
जी सी एम एस नं.–2021/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेश दिया जाता हैं कि वह निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे–

क्र.सं	नाम खातेदार	मु.नं.	किलानम्बर	रकबा कुल	विशेष विवरण
1	बनवारी लाल पुत्र कालूराम जाति नायक	305/383 मुं.नं. 19	1/0.233, 2 ता 9 सालम, 10/0.233, 11/0.233, 12/0.253, 13/0.098 हैक्टर	3.074 हैक्टर	–
2	मनीष कुमार सुखवीर कुमार सतवीर सरजीत कुमार सोमवीर कुमार हवासिंह	305/383 मुं.नं. 19	13/0.155, 14 ता 20 सालम, 21/0.114, 22/0.240, 23 ता 25 सालम	3.039 हैक्टर	–
3	बनवारी लाल मनीष कुमार सुखवीर कुमार सतवीर कुमार सरजीत कुमार सोमवीर कुमार हवा सिंह	305/383 मुं.नं. 19	1/0.020, 10/0.020, 11/0.020	0.060 हैक्टर	रास्ते हेतु सयुक्त खातेदारी भूमि

तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज तारीख 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर